प्रेषक

महानिदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैक्टर–5, पंचकूला।

सेवा में

रजिस्ट्रार,

1. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र।
2. महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक।
3. भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुरकलां, सोनीपत।
4. चौ0 देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा।
5. चौ0 बंसीलाल विश्वविद्यालय, भिवानी
1. चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जीन्द।
2. इन्दिरा गांधी विश्विद्यालय, मीरपुर (रेवाड़ी)।
3. केन्द्रीय विश्वविद्यालय नारनौल (महेन्द्रगढ़)।
4. वाई0एम0सी0ए0, फरीदाबाद।
5. चौ0 चरणसिंह कृषि विश्वविद्यालय, हिसार।
6. हरियाणा राज्य के सभी राजकीय महाविद्यालय।
7. हरियाणा राज्य के सभी प्राईवेट विश्वविद्यालय।
13. अराजकीय अनुदान प्राप्त, स्वपोषित डिग्री महाविद्यालयों एवं राजकीय शिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य।

यादि क्रमांकः 3/89–2017 छा0(2)
दिनांक, पंचकूला

विषयः **Submission of On Line Application for Post Matric ScholarshipScheme for SC/ST and OBC Students for the Academic Session 2017-18**

उपरोक्त विषय पर इस विभाग के पत्र क्रमांक 3/89–2017 छा0(2), दिनांक 28.8.2017, 03.10.2017, 29.11.2017 की निरन्तंरता में ।

आपको सूचित किया जाता है कि चूंकि विभाग द्वारा नया–नया पोर्टल तैयार किया गया है तथा छात्रों को इसमें छात्रवृति हेतु आवेदन करते समय कुछेक मुश्किलें हुई। परन्तु अब इनका निवारण करवा दिया गया है।

इसके अतिरिक्त विभाग के ध्यान में आया है कि महाविद्यालयों द्वारा छात्रों के आवेदन ऑनलाईन वैरिफाई नहीं किये जा रहे हैं । आपसे पुनः अनुरोध है कि अपने–अपने महाविद्यालय के छात्रों के आवेदन वैरिफाई करके तथा अवार्ड रोल तैयार करके तत्काल निदेशालय में भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।

चूंकि छात्रों के प्रथम सैमेस्टर की परीक्षाओं में व्यस्त होने के कारण अब विभाग द्वारा उपरोक्त मामले में ऑनलाईन आवेदन करने की अवधि सभी कक्षाओं हेतु दिनांक 31.12.2017 तक बढ़ाई जाती है। इस अवधि के अतिरिक्त संस्थाओं को वैरिफिकेशन के लिए अलग से समय नहीं दिया जायेगा। वे अपने–अपने छात्र के आवेदन इस अवधि के दौरान ही वैरिफाई करेंगे।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिन संस्थाओं के आवेदन प्रथम वर्ष तथा अन्य कक्षाओं के आवेदन ऑनलाईन हो गये हैं तथा प्राचार्य द्वारा वैरिफाई भी कर दिये गये हैं, वे क्लेम Excel Sheet में सूची तैयार करके विभागीय ऑडिटर से वैरिफाई करवा कर सरकार द्वारा दिया जाने वाला नॉन रिफण्डेबल/मैनेजमेंट फण्ड का भुगतान प्राप्त करें। पुनः ध्यान में लाया जाता है कि कोई भी महाविद्यालय अनुसूचित जाति के छात्रों, जो PMS for SC Scheme के अन्तर्गत कवर होते हैं, से फीस/फण्डस की मांग नहीं करेगा। आदेशों की उल्लंघना के गम्भीर परिणाम हो सकते हैं।

Kuldeep 14/12/17

उप निदेशक छात्रवृति,
कृते निदेशक उच्चतर शिक्षा,
हरियाणा,पंचकूला